File No.76-1099/64/2021-1-

I/2 178/2022

संख्या- 3396/छिहत्तर-1-2022-03सम/2022

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 03 अक्टूबर, 2022

विषय- "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1566/W-314(ISA-Vol-6)/2022-23 दिनांक 28.07.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सन्दर्भित प्रकरण में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-03/2021/423/छिहत्तर-1-2021-03 शिकायत/2020 दिनांक 05-02-2021 के प्रस्तर-9 में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के क्रम में प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 05-02-2021 के प्रस्तर-9 की व्यवस्था को संशोधित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों में करायी गयी गतिविधियों के भुगतान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय:-

i. जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0एस0ए0 सम्बन्धी प्रविष्टियों का विभागीय पोर्टल एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर आन लाइन अंकन जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा।

ii. jjmup.org/jalshakti.up.gov.in के Bill Management System पर वर्तमान में प्रचलित समस्त कार्यवाही जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता स्तर तक यथावत जारी रहेगी। तत्पश्चात आई0एस0ए0 सम्बन्धी प्रविष्टियो का विभागीय पोर्टल एवं पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर आन लाइन अंकन सम्बन्धित जनपद के जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा।

iii. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त आई0एस0ए0 से सम्बन्धित भुगतानों के बिल वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप jjmup.org jalshakti.up.gov.in पर अपलोड किया जायेगा, जो बिल उक्त पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे, उनका भुगतान नहीं किया जायेगा।

iv. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा आई0एस0ए0 की आर0एफ0पी0 के अनुसार फेजवाइज गतिविधियों का अभिलेख एवं सम्बन्धित फोटोग्रॉफ/वीडियो प्राप्त कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर तथा जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर ही आई0एस0ए0 के बिलों के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

v. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), द्वारा सभी गतिविधियों का अभिलेख, आई0एस0ए0 द्वारा की गयी एक्टीविटी का विवरण, रिपोर्ट एवं बिल/वाउचर संरक्षित किया जायेगा, जिससे सम्बन्धित भुगतानों का ऑडिट किया जा सके।

F:\Sunil 2022\Namami Gange Go 2022.docx

3/2022

vi. सम्बन्धित बिलों के परीक्षणोपरान्त सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), द्वारा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर Final Calculation sheet प्राप्त कर PFMS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।

vii. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के PFMS पोर्टल के Admin वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन होंगे एवं उनके द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को आई0एस0ए0 भुगतान की धनराशि के समतुल्य लिमिट (Limit) आवंटित की जायेगी।

viii. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर PFMS पोर्टल के संचालन हेतु एक डाटा ऑपरेटर (DO) होंगे, जो कि सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) होंगे एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उन्हें डाटा ऑपरेटर (DO) User ID एवं Password पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका है।

ix. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर PFMS पोर्टल के संचालन हेतु एक डाटा अप्रूवर (DA) होंगे, जो वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन होंगे एवं उनकी Digital Signature (DSC) को DA की ID में पंजीकृत किया जायेगा।

x. डाटा ऑपरेटर (DO) द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त आई0एस0ए0 कार्य से सम्बन्धित भुगतान की प्रविष्टियां (Booking) जनपद स्तर पर PFMS के माध्यम से की जायेंगी।

xi. प्रविष्टियों के अंकन से पूर्व जनपद स्तर पर सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), द्वारा यह सुनिश्चत किया जायेगा कि भुगतान हेतु प्रविष्ट की जाने वाली धनराशि की दर स्वीकृत दर के अनुरूप हो। भौतिक प्रगति व दर की सत्यता का दायित्व जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

xii. डाटा ऑपरेटर (DO) द्वारा किये गये भुगतान की प्रविष्टियों को डाटा अप्रूवर (DA) द्वारा DSC के माध्यम से Approve किया जायेगा।

xiii जिला पेयजल एव स्वच्छता मिशन के स्तर से किये गये समस्त भुगतान की प्रविष्टियों एवं की जाने वाली कटौतियों की सत्यता एवं शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद से सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) का होगा।

xiv. जिला पेयजल एव स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के आधार पर Statutory deductions (TDS, GST etc) का भुगतान प्रत्येक माह राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा।

xv. राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूपों पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर बैंक समाधान विवरण (Bank Reconciliation) सम्बन्धी कार्य राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा।

xvi. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत किये गये समस्त व्ययों एवं भुगतानों का संप्रेषण (Audit) मुख्यालय स्तर पर गठित Internal Audit Cell द्वारा कराया जायेगा।

xvii. भुगतान की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिलों के भुगतान की स्थापित व्यवस्था से किसी वित्तीय नियम तथा जल जीवन मिशन कार्यक्रम की गाइडलाइन्स का उल्लंघन न हो।

3- शासनादेश संख्या-03/2021/423/छिहत्तर-1-2021-03 शिकायत/2020 दिनांक 05-02-2021 के प्रस्तर-9 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए, शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

Signed by डॉ0अम्बरीष कुमार सिंह
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह) 9:39
Reason: Approved
उप सचिव

संख्याः 3396 /छिहत्तर-1-2022-03सम/2022, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जलशक्ति विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव,कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
4. विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ओम 3/10/2022

(ओम प्रकाश चौहान)

अनु सचिव